भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2078

21 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में घरेलू कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार

2078. श्री एन.आर.इलांगो:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र की घरेलू कंपनियों द्वारा अपना प्रदर्शन सुधारने तथा उनका वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) से (ग): इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके, एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया है, जिसमें प्रोद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक इस्पात उद्योग के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसके द्वारा इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए, की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ सहभागिता।

****